छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 357/2006</u>

डॉ0 एम. एस. परिहार,
ग्राम व पोस्ट–निरजाम,
तहसील–मुंगेली,
जिला–बिलासपुर (छ.ग.) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, मुंगेली
जिला–बिलासपुर (छ.ग.) .... अनावेदक

:: आदेश ::
(दिनांक 30 अक्टूबर 2006)

श्री एम.एस.परिहार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–18 के अन्तर्गत आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा सूचना अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुंगेली को आवेदन पत्र दिनांक 8–12–2005 देकर ग्राम पंचायत निरजाम के सचिव के संबंध में जानकारी चाही थी कि सचिव को दिये गये 26 वार्ड का मानदेय का व्हाऊचर नंबर, सत्यप्रतिलिपि, ग्राम पंचायत निरजाम के प्रस्ताव की प्रति जो कि सचिव को मानदेय भुगतान हेतु प्रस्ताव पारित किया गया तथा ग्राम पंचायत निरजाम से सचिव को 26 वार्ड के मानदेय के भुगतान की जानकारी चाही थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुंगेली के द्वारा दिनांक 10–7–2006 को आवेदक को जानकारी दी गई, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया कि वे जानकारी का 14/– रूपए शुल्क जमा करें। शिकायतकर्ता ने मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को शिकायत प्रस्तुत की। अनावेदक को नोटिस जारी किया गया। जानकारी समय पर प्रदान न करने के फलस्वरूप अनावेदक को 25,000/– रूपए की शास्ति क्यों न आरोपित की जावे, इसका नोटिस दिनांक 3–8–2006 को जारी किया गया। दिनांक 7–9–2006 को अनावेदक वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुंगेली उपस्थित हुए तथा उन्होंने बताया कि प्रकरण तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पी.एस.ठाकुर से संबंधित है। अतः आयोग के द्वारा वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ए.पी.शांडिल्य के लिए जारी अर्थदण्ड का कारण बताओ नोटिस निरस्त करते हुए श्री पी.एस.ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्री ठाकुर ने कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया। उन्होंने बतलाया कि चाही गई जानकारी ग्राम पंचायत से संबंधित थी। यह जानकारी पूर्व में आवेदक को दी जा चुकी थी तथा कार्यालयीन रजिस्टर में आवेदक

के हस्ताक्षर भी हैं। आवेदक को दिनांक 10–7–2006 को जानकारी भेजी गई थी, किन्तु उसने लेने से इन्कार किया, पुनः 10–8–2006 को आवेदक को वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जानकारी भेजी गई, किन्तु उसे भी लेने से इंकार किया गया। उसने यह भी उल्लेख किया गया कि उसकी माताजी का आकस्मिक निधन होने से वह अवकाश पर चला गया तथा बाद में उसका स्थानांतरण भी हो गया।

2/ आयोग के द्वारा आवेदक एवं अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। बहस के समय आवेदक ने यह स्वीकार किया उसे अब जानकारी प्राप्त हो चुकी है। उसके द्वारा कई बार चक्कर लगाने के पश्चात् जानकारी दी गई। उसके द्वारा अर्थदण्ड एवं मुआवजे की मांग की गई। प्रकरण से स्पष्ट है कि जनपद पंचायत के द्वारा केवल मानदेय की राशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराई जाती है, भुगतान और व्हाऊचर आदि की जानकारी ग्राम पंचायत में ही रहती है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक को जानकारी भेजी गई थी, किन्तु उसने लेने से इंकार किया है, भेजी गई जानकारी के पत्र में यह उल्लेख भृत्य के द्वारा अंकित किया गया है। आवेदक को जानकारी प्राप्त हो चुकी है तथा वह संतुष्ट भी है। प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि जानकारी ग्राम पंचायत से प्राप्त करने में विलम्ब हुआ है तथा तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के माताजी के निधन से भी विलम्ब हुआ है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी विलम्ब से नहीं दी गई है। आवेदक को पूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अतः तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुंगेली श्री पी.एस.ठाकुर पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः उनको अर्थदण्ड हेतु जारी किया गया कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। आवेदक को जानकारी विलम्ब से प्राप्त हुई, इससे बार–बार जाने से उसे आर्थिक क्षति हुई है। अतः जनपद पंचायत, मुंगेली को निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक को 250/– रूपए की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जावे।

3/ उक्त निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

हस्ता0/– 30–10–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त